



Neutral Citation No. - 2026:AHC:167375

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 34444 वर्ष 2025

ऋषभ मिश्रा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : लवकुश कुमार शुक्ला, लोकेश कुमार द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, विजय कुमार तिवारी

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन किया गया।

2. यह आवेदन वाद संख्या 18339 सन् 2020 (राज्य बनाम ऋषभ मिश्रा और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही, जो मुकदमा अपराध संख्या 539 सन् 2018 से उत्पन्न हुई है, धारा 467, 468, 419, 320, 406, 409, 471, 120-बी, 34 आई.पी.सी., थाना-सिगरा, जनपद-वाराणसी के अंतर्गत, जो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी के न्यायालय के समक्ष लंबित है, को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 16.12.2021 तथा गैर-जमानती वारंट दिनांक 04.08.2025 को भी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. पूर्व में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आदेश दिनांक 19.11.2025 के माध्यम से मामला उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद को संदर्भित किया गया था।

4. आज जब मामले को लिया गया, तो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में दोनों पक्षकार उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद के समक्ष उपस्थित हुए तथा दोनों पक्षकारों ने दिनांक 23.07.2026 को मध्यस्थता केंद्र के समक्ष समझौता कर लिया है। दिनांक 23.07.2026 के अंतिम समझौता करार की प्रमाणित प्रति वर्तमान आवेदन की आदेश-पत्रावली के साथ अभिलेख पर भी लाई गई है।

5. सुविधार्थ, अंतिम समझौता करार के प्रासंगिक अनुच्छेद संख्या 9 को निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है:

“ए) यह कि दोनों पक्षकारों ने इस शर्त पर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है कि आवेदक-ऋषभ मिश्रा, श्री प्रशांत सिंह (प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के प्राधिकरण-पत्र धारक) को प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2-एच.डी.एफ.सी. बैंक के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ब्याज सहित ऋण की संपूर्ण राशि अर्थात् ₹12,63,546/- (रुपये बारह लाख तिरसठ हजार पांच सौ छियालीस मात्र) का भुगतान करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बी) यह कि आज आवेदक ऋषभ मिश्रा ने केंद्र के समक्ष ₹12,63,546/- (रुपये बारह लाख तिरसठ हजार पांच सौ छियालीस मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है, जिसका डिमांड ड्राफ्ट संख्या 728826 दिनांक 23.07.2026 है, जो यस बैंक पर आहरित है और एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड ऋण संख्या 52342277 के नाम से जारी किया गया है। उक्त डिमांड ड्राफ्ट श्री प्रशांत सिंह (प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के प्राधिकरण-पत्र धारक) को सौंप दिया गया है और उन्होंने उसकी प्राप्ति स्वीकार की है।

सी) यह कि दोनों पक्षकार सहमत हैं कि अब उनका एक-दूसरे के विरुद्ध कोई अन्य दावा या देयता नहीं है और वे एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड ऋण संख्या 52342277 के संबंध में वर्तमान विवाद से संबंधित किसी भी वाद-विवाद का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करने का वचन देते हैं।

डी) यह कि दोनों पक्षकार सहमत हैं कि वर्तमान समझौता करार किए जाने के पश्चात्, एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड ऋण संख्या 52342277 के संबंध में भविष्य में उनके मध्य कोई विवाद नहीं रहेगा।

ई) यह कि पक्षकार सहमत हैं कि आज से 15 दिनों के भीतर एच.डी.एफ.सी. बैंक आवेदक ऋषभ मिश्रा को एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड ऋण संख्या 52342277 के संबंध में ऋण समापन पत्र जारी कर उपलब्ध कराएगा।”

6. उपर्युक्त समझौता करार के दृष्टिगत, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने समझौता करार में दर्ज दोनों पक्षकारों के कथनों का संदर्भ देते हुए प्रस्तुत किया कि इस करार पर हस्ताक्षर करके इस करार के पक्षकार यह घोषित करते हैं कि वर्तमान आवेदन के संबंध में उनका एक-दूसरे के विरुद्ध कोई अन्य दावा नहीं है तथा इस संबंध में सभी विवाद एवं मतभेद पक्षकारों द्वारा सुलह/मध्यस्थता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की प्रक्रिया के माध्यम से आपसी सहमति से निपटा लिए गए हैं। अतः उपर्युक्त आपराधिक वाद की संपूर्ण कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा सकती है।

7. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई उपर्युक्त प्रस्तुति का खंडन नहीं कर सके।

8. यह न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से अनभिज्ञ नहीं है:

1. बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य; (2003) 4 एससीसी 675, 2. निखिल मर्चेट बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन; (2008) 9 एससीसी 677, 3. मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य; (2008) 16 एससीसी 1, 4. ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य; (2012) 10 एससीसी 303, 5. नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य; (2014) 6 एससीसी 466, तथा 6. रामगोपाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य; 2021 लीगल ईगल (एससी) 569।

9. उपर्युक्त निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि कुछ संज्ञेय एवं गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के मध्य समझौता किया जा सकता है।

10. मामले के उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का सुविचारित मत है कि उपर्युक्त आपराधिक वाद की कार्यवाही को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि पक्षकारों ने पहले ही अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है।

11. तदनुसार, वाद संख्या 18339 सन् 2020 (राज्य बनाम ऋषभ मिश्रा और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही, जो मुकदमा अपराध संख्या 539 सन् 2018 से उत्पन्न हुई है, धारा 467, 468, 419,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



320, 406, 409, 471, 120-बी, 34 आई.पी.सी., थाना-सिगरा, जनपद-वाराणसी के अंतर्गत, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी के न्यायालय के समक्ष लंबित है, एतद्वारा निरस्त की जाती है।

12. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10 अगस्त, 2026

अकबर

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)